आवेदक / अभियुक्त धर्मेंद्र उर्फ धम्मू व दीपू उर्फ दीपक की ओर से श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक / राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण आवेदन पर विचार हेत् नियत है।

इसी प्रक्रम पर आवेदक / अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री विजय श्रीवास्तव ने इस जमानत आवेदन पर स्वेच्छापूर्वक बल नहीं देना व्यक्त करते हुये उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया एवं तद्विषयक टीप हांसिये पर अंकित की गई।

अतः बाद विचार आवेदक / अभियुक्त धर्मेंद्र उर्फ धम्मू व दीपू उर्फ दीपक के स्वेच्छिक निवेदन पर यह जमानत आवेदन निरस्त किया जाता जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल अभिलेखागार हो। WIND SILVE

(सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म०प्र०